न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 24/2019

तारीख रजू:-6.2.2019

गिरधारी पुत्र रामधन जाति ब्राहमण निवासी जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली

बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 1.09.2018 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील नादौती मु0न0 165/2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गिरधर धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.4.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से अपील तहसीलदार सपोटरा के निर्णय दिनांक 1.9.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि मातहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट की बिना जॉच पडताल किये ही निर्णय पारित किया गया है पत्रावली मे किसी प्रकार की साक्ष्य आदि नही है। खसरा नम्बर 146 रकवा 1 वीधा पर कोई अतिक्रमण किया गया है ना ही काश्त की है। ना ही कोई सुनवाई की गई है। बिना सुनवाई के ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का के बयानो मे किसी प्रकार की जिरह नही कराई गई है। मौके पर जॉच करने पर अतिक्रमण पाया गया तो प्रार्थी हटाने को तैयार है इस निर्णय की जानकारी दिनांक 1.9.2018 को पटवारी हल्का द्वारा पनेल्टि मांगने पर हुयी। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुये कहा की भूमि पर कब्जा नही है पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है मौके पर कोई अतिक्रमण नही है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का जीरौता ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की

चाह का निर्माण होना बताया गया है। पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज नही है इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय ने नवीन अतिकमण को पश्चातवर्ती अतिचार मानकर अपीलान्ट को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है नियम विरूद्व है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 1.09.2018 का अपास्त किया जाता है। तहसीलदार को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुना जावे तथा विवादित आराजी का विधिवत अपीलान्ट की मौजूदगी मे मौका देखकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली